हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गिर्राज बनाम हीरालाल वगै.

प्रा. पत्र 212 आर.टी. एक्ट

4.3.16 आज यह प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का वकीलप्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी विवादित हाल ख.सं. 203/0.02 है. वाके ग्राम करोठ तह. राजगढ मे स्थित है से प्रार्थी को बेदखल न करें, आने जाने मे रूकावट वो मजाहमत पैदा न करें मौका की स्थिति यथावत बनाये रखें तथा किसी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण कार्य न करें प्रार्थी के उपभोग व उपयोग मे किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा न करें। साथ मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रा. पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हूये अप्रार्थीगण कोजरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दि. 16.5.16 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण न करें। मौका की स्थिति यथावत बनाये रखें साथ मे नोटिस भी जारी हो कि इस सम्बन्ध मे उन्हे कोई एतराज हो तो दि. 16.5.16 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हों।

उप खण्ड अधिकारी राजगढ
राजगढ़ जिला-अलवर

16/5/16 आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत..अलेडी मे दिनाक 20/5/16 को पेश होने वास्ते तलब होकर पेश हुई। पक्षकारान को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पचायत..अलेडी..... में उपस्थित होने बावत नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनाक..20/5/16 को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत..अलेडी........में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

20/5/16 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत मे पेश हुई। पक्षकारान मे आपसी राजीनामा व सहमति नही होने से प्रकरण का निस्तारण नही हो सका।

अत: पत्रावली न्यायालय मे ही दिनांक .27.5.16. का पेश हो।

तारीख हुकम	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम में
	30/10/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 8/1/25 को पेश हो। रीडर 08/01/25 पत्रावली देखी। मूलवाद Not press में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रचलित धारा 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। प्रकरण पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा हो। SDO	